

5/04/2025

—प्रकरण प्रस्तुत।

—प्रकरण का अवलोकन किया।

—आवेदक खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पताढी/कोरबा, निवासी — लेमरु, तहसील— अजगरबहार, जिला — कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम — लेमरु, प.ह.नं.—07, तहसील अजगरबहार, जिला—कोरबा, में खसरा नम्बर 396 रकबा 11.367 है। भूमि पर आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। उक्त भूमि में 01 बड़ा एवं 02 छोटे आकार के साल वृक्ष एवं 01 महुआ का छोटा वृक्ष है जिसके कारण उक्त भूमि में आवासीय भवन निर्माण प्रभावित हो रहा है जिसमें से कुल 04 वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

—प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। राजस्व विभाग से स्थल निरीक्षण/संयुक्त जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्ररूप—घ में निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 15/04/2025 को प्राप्त हुई, जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप —घ के अनुसार कुल 04 नग वृक्ष साल वृक्ष —03 नग एवं महुआ वृक्ष— 01 नग, वृक्ष मौके में पाया गया जो प्ररूप —घ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

—छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:—

(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा

(ङ) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा

(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर— नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

— आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों लागू नहीं होना पाया गया।

नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

— उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।

— कुल 04 नग वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा तक तक प्रदत्त नहीं की जायेगी, जब तक कि भूस्वामी द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाएँ, या भूस्वामी द्वारा रुपये 150/- प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए। यह राशि पंचायत में "रोपण निधि" के अधीन रखी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह अनुशंसा करती है, कि भू-स्वामी ने वांछित संख्या में पेड़ों का रोपण किया, उसकी देखभाल की एवं पौधा सुरक्षित है, तो उपरोक्त रकम वृक्षारोपण की तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दी जाएगी, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस रकम का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूस्वामियों से रकम की वसूली नहीं की जाएगी।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 04 नग वृक्षों की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

—संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(स0)
कोसगाँव, जिला रायपुर (छ.ग.)

न31

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पताड़ी/कोरबा,
निवासी- लेमरू, पटवारी हल्का नंबर-
तहसील.-अजगरबहार, जिला.-कोरबा,

विषय:- 04 नग वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक- 08/04/2025 के तहत राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक- 08/04/2025 को जारी किया गया। संबंधितों से संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 15/04/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

महुआ - 01 नग, साल- 03 नग वृक्ष अवस्थित रूप से खड़े अवस्था में हैं।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदक खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पताड़ी/कोरबा, निवासी-लेमरू, तहसील-अजगरबहार, जिला-कोरबा, छ.ग के नाम पर ग्राम लेमरू स्थित खसरा नम्बर 396 रकबा 11.367 हे. भूमि पर आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि प्रस्तावित किया गया है। जहां कार्यस्थल पर 03 नग छोटे बड़े साल वृक्ष एवं 01 नग महुआ वृक्ष होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा उक्त स्थान पर मौके में जाँच पर कुल- 04 नग वृक्ष पाया गया। जिन्हें काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

कुल 04 नग वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा तक तक प्रदत्त नहीं की जायेगी, जब तक कि भूस्वामी द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाएँ, या भूस्वामी द्वारा रुपये 150/- प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए। यह राशि पंचायत में "रोपण निधि" के अधीन रखी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह अनुशंसा करती है, कि भू-स्वामी ने वांछित संख्या में पेड़ों का रोपण किया, उसकी देखभाल की एवं पौधा सुरक्षित है, तो उपरोक्त रकम वृक्षारोपण की तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दी जाएगी, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस रकम का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूस्वामियों से रकम की वसूली नहीं की जाएगी।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 04 नग वृक्षों की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (स.स.स.)
अनुविभागीय अधिकारी (स.स.स.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) 2025

पृ.क.नं. 32 / अ.वि.अ. / वाचक / 2025

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला-कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल-कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार -अजगरबहार को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (स.स.स.)
अनुविभागीय अधिकारी (स.स.स.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)